1343

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

पत्रांक– 320 दिनांक 23/2/16

प्रेषक,

हिमांशु शर्मा, *भा०प्र०से०*
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–491/2012–13 वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 650/13–14 वित्तीय वर्ष 2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुलपालन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखा के अंकेक्षण हेतु आये अंकेक्षण दल को दिनांक 21.02.2015 को हस्तगत करा दिया गया है, जिसकी छाया प्रति इसके साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

23/2/15

नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–650/2013–14 वित्तीय वर्ष 2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन

पारा सं0	आपत्ति का सार	कार्यालय द्वारा प्रदत्त जवाब	अंकेक्षण टिप्पणी	स्थानीय लेखा परीक्षक का मंतव्य या स्वीकृति
1	प्रस्तावना	सूचनात्मक		
2	प्रशासन	तथैव		
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	तथैव		
4	पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति	पूर्व में समर्पित किया जा चुका है।		
5	**बजट प्राक्कलन** बजट प्राक्कलन विहित समयावधि में वास्तविक आय–व्यय को ध्यान में रखकर किया जाय।	सुझावात्मक		
6	**वार्षिक लेखा का संधारण** 2012–13 के लिए तैयार की गयी आय–व्यय से संबंधित लेखा परीक्षा में जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना।	नयी लेखा नियमावली 2014 के अनुसार लेखा का संधारण किया जाना।		
7	**अनुदान की स्थिति** (1) 31.03.2013 तक 351871391.00 की राशि बैंक खाता एवं कोषागार में पड़ी थी जिसमें से कुछ राशि ओल्ड स्टेट फाइनेन्स, बेघर आदि में विगत एक वर्ष से अधिक अव्यवहृत थी।	अव्यवहृत अनुदान की राशि को शीघ्र व्यय कर दिया जायेगा।		
	(2) वर्ष 2012–13 के अनुदान पंजी का संधारण नहीं। अनुदान पंजी संधारण कर अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाय।	नयी लेखा नियमावली के अनुसार संधारण की जायेगी।		
8	**तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान** (क) प्राप्त राशि 84769696.00 का 50 प्रतिशत 40884848.00 रू0 के विरूद्ध मात्र 30640977.00 रू0 ही व्यय किया गया। (ख) पाईप जलापूर्त्ति व्यवस्था रख–रखाव तथा रैन बसेरा आदि पर व्यय नहीं। (ग) 31.03.2013 को अव्यवहृत राशि को व्यय कर कार्यालय को सूचित करे एवं जिन शीर्षों पर व्यय नहीं की गयी है उन शीर्षों पर राशि व्यय करें।	अव्यवहृत अनुदान की राशि को शीघ्र व्यय कर दिया जायेगा।		

1342

8(क)	**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत हाथ से मैला ढोने व्यवस्था को समाप्त करना।** वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कुल राशि 19972698.00 रू0 प्राप्त हुयी थी, परन्तु व्यय शून्य थी। जवाब दिया गया कि स्थायी समिति एवं बोर्ड से स्वीकृति के पश्चात् राशि खर्च किया जायेगा। अतः अवशेष पड़ी राशि को व्यय किया जाए।	निदेशानुसार राशि का व्यय अन्य मद में जायेगा।		
9(i)	**लेखापाल रोकड़वही का वित्तीय अधिदृश्य 2012–13** प्रारंभिक शेष दर्ज नहीं रहने केकारण अंत शेष ज्ञात नहीं किया जा सका। अगले अंकेक्षण को उपलब्ध कराया जाय।	नयी लेखा नियमावली के तहत कार्य किया जायेगा।		
9(ii)	**सहायक रोकड़वहीं का वित्तीय अधिदृश्य** लेखापाल रोकड़वहीं के अतिरिक्त 22 रोकड़वहियों का संधारण। इनसे संबंधित पासबुकों को अगले अंकेक्षण में समाधान विवरणी के साथ प्रस्तुत करें।			
9(iii)	**पी0एल0 एकाउन्ट का वित्तीय अधिदृश्य 2012–13** ट्रेजरी पासबुक के अनुसार 31.03.2013 को कोषागार का अंतशेष 225116402.79 था। पी0एल0 एकाउन्ट तथा कोषागार पासबुक में कोई अन्तर नहीं था।			
	भाग–II–क गंभीर प्रकृति की कंडिकायें			
1	**सैरात बन्दोबस्ती** 1. सैरात बन्दोबस्ती पंजी का संधारण स्पष्ट नहीं। 2. बन्दोबस्ती की 3 प्रतिशत राशि स्टाम्प शुल्क में वसूलनी थी जिसमें 69540.00 कम वसूली गयी थी। इसे वसूल कर सूचित किया जाए। 3. **बन्दोबस्ती राशि की कम वसूली** – 0.36 लाख इस राशि को वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। 4. **सैरात से कम वसूली 16.54 लाख** बन्दोबस्ती के अपेक्षा विभागीय कम वसूली	वसूली की कार्रवाई की जायेगी।		

(34)

2	विज्ञापन कर में हानि – 17.85 लाख न्यायिक स्थगन आदेश के उपरान्त विज्ञापन शुल्क की विभागीय वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी। ससमय विभागीय वसूली की कार्रवाई नहीं होने के कारण 1785994.00 रू0 की हानि हुयी।	मामले की जांच की जा रही है।		
3	**<u>टीन टिकट में हानि 5.56 लाख</u>** आवश्यकता से अधिक आपूर्त्ति आदेश। 1796 टीकट का 340.00 प्रति हजार का व्यय अधिक। कम वसूली गयी राशि को वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।	आगामी वर्ष में इस पर ध्यान दिया जायेगा।		
4	**<u>अतिरिक्त सफाई कर्मियों पर भुगतान</u>** 286+31= 317 सफाई कर्मियों के रहते अतिरिक्त सफाई कर्मियों पर 3284953.00 रू0 भुगतान किया गया जिस संबंध में कोइ जवाब नहीं दिया गया। स्पष्ट किये जाने तक उक्त भुगतान किये गये राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन है।	कार्य बल की कमी के कारण क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए नागरिकों को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मियों को रखकर उनसे कार्य लिया गया एवं उन्हें पारिश्रमिक भुगतान किया गया।		
5	**<u>पि0क्षे0अनु0निधि की पुरानी योजना को अधूरी अवस्था में छोड़ना।</u>** 11883836.00 रू0 के व्यय के बावजूद 10 योजनायें एक वर्ष से अधिक समय में अपूर्ण थी। इन योजनाओं को पूर्ण किये जाने तक उक्त राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।	आपत्तिगत योजनाओं में से क्रमांक–4 एवं 7 को छोड़कर सारी योजनायें पूर्ण हो चुके है। न्यायालीय विवाद के कारण यह योजना लंबित है।		
6	**<u>पि0क्षे0अनु0 निधि की योजना में अनियमिततायें योजना सं0–231/2010 BRGF......</u>** I. समयावधि विस्तार दो बार स्वीकृत करने के पश्चात् भी विलम्ब से कार्य सम्पन्न व अधिक भुगतान	सुरक्षित जमा राशि से कटौती कर ली जायेगी।		
	II. पेनाल्टी की कटौती नहीं एकरारनामा के क्लाउज 2 के अनुसार विलम्ब हेतु 10 प्रतिशत राशि पेनाल्टी के रूप में कटौती करना था। कटौती नहीं की गयी राशि 243250.00 वसूलनीय है। जवाब दिया गया कि जमानत की जमा राशि से वसूल कर ली जायेगी। भविष्य में समय वृद्धि समय सीमा के अन्दर हीं की जायेगी।	समय विस्तार की स्वीकृति के कारण पेनाल्टी की कटौती नहीं की गयी।		

7	**असमायोजित अग्रिम की स्थिति** असमायोजित अग्रिम 9439602.00 की वसूली समायोजन पर कार्यालय को अवगत करायी जाय।	समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई प्रगति पर है।		
	भाग–II–(ख)			
1	कम जमा/नहीं जमा तथा अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि। अंकेक्षण में जमा 2269.00 को बैंक में जमा एवं अन्य अभिलेखों में प्रविष्टि को अगले अंकेक्षण में दिखाये जाने तक आपत्ति के अधीन।	राशि जमा कर दी गयी है। पारा निरस्त किया जा सकता है।		
2	**सम्पत्ति कर की बकाया राशि** – वसूली प्रतिशत कम। – निजी भवनों की बकाया राशि 45233427.00 तथा सरकारी भवनों की बकाया राशि 61802661.00 रू0 वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।	अद्यतन स्थिति से वर्त्तमान अंकेक्षण को अवगत करा दिया गया है।		
3	**स्टॉल से कम वसूली** – वर्ष 2012–13 की कुल वसूली 4939568.00 रू0 का 12.36 प्रतिशत यानि 610531.00 सेवा कर के रूप में कटौति की जानी थी जो नहीं की गयी। संबंधित राशि सरकार के शीर्ष में जमा करें। – बकाया राशि 3529510.0 रू0 वसूल कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।			
4	**विद्युत विपत्र का भुगतान (₹2.98 करोड़)** मुजफ्फरपुर नगर निगम के जिम्में बकाया बिजली बिल के मद में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1760 दिनांक 26.03.2011 द्वारा 1393.20 लाख का भुगतान विद्युत विभाग को किया जा चुका है। यह भुगतान के अतिरिक्त बकाया 3159.03 लाख दर्शाया गया है अथवा सम्मिलित था, स्पष्ट नहीं था। बिजली विभाग को 1222.85 लाख का अधिक भुगतान को जांच कराकर फलाफल से कार्यालय को अवगत करायी जाय।	विद्युत विभाग से होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई की जा रही है।		

339

5	**स्थापना (वाह्य सेवा से पदस्थापित पदाधिकारियों को भुगतान)** पांच अभियंताओं एवं एक नगर सचिव जो बाह्य सेवा से पदस्थापित थे, के भुगतान पर 4881017.00 रू0 खर्च हुए। इनके वेतन भत्ते पर खर्च होने वाले राशि सरकार द्वारा वहन किये जाने का बिहार नगरपालिका अध्यादेश 2007 की धारा 41 में प्रावधानित है जो नगर निगम निधि से खर्च किये गये। सरकार से प्रतिपूर्ति का प्रयास कर राशि प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।	संबंधित पदाधिकारियों का पदस्थापन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा की गयी है। पांच पदाधिकारियों में से वर्त्तमान में तीन पदाधिकारी ही कार्यरत है।		
6	**प्रतिनियुक्ति भत्ता का अनियमित भुगतान** ____चार अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया था। आदेश में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति भत्ता भुगतान करने के संबंध में उल्लेख नहीं था, परन्तु इस मद में उन्हें 55934.00 का भुगतान किया गया। संबंधित व्यक्तियों से उक्त राशि वसूल कर सूचित करें।	संबंधित पदाधिकारियों का आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है।		
7	**भविष्य निधि की कटौती राशि संबंधित कर्मी के खाता में जमा नहीं ₹26.54 लाख**	भविष्य निधि की अद्यतन कटौती की राशि निगम कर्मियों के खाते में जमा करा दिया गया है।		
8	**स्वीकृत बल की तुलना में अतिरिक्त कर्मचारियों पर व्यय** अनुसेवी–3 एवं क्लीनर–1 कुल चार स्वीकृत बल के अतिरिक्त कर्मियों पर 16 महीना में 605104.00 रू0 व्यय उचित स्पष्टीकरण दिये जाने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन।	स्वीकृत कार्यबल की वास्तविकता की समीक्षा की जा रही है।		
9	**कम्पयूटर ऑपरेटरों की अनियमित बहाली ₹137116.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन।**	सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्य की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें अस्थायी रूप से रखकर इनसे कार्य लिया जा रहा है।		
10	**ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कार्य** 1. स्पर द्वारा निर्गत विज्ञापन एवं फर्मों द्वारा समर्पित निविदा को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं। 2. आउटसोर्सिंग एजेन्सी को सफाई एवं सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु रखने/लाने की आवश्यकता नहीं। 3. निदान द्वारा वार्डवार सफाई कार्य कराये जाने की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। 4. निगम के सफाई कर्मी एवं निदान द्वारा किये गये कार्य	वर्णित आपत्ति की समीक्षा कर कार्रवाई की जायेगी।		

338

	में अन्तर स्पष्ट नहीं। **5.** कूड़ा के Recycle से कम्पोस्ट निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा था, स्पष्ट नहीं। **6.** Performance Security कब, कहां और किसे खाते में जमा किया गया, स्पष्ट नहीं। **7.** फोटोग्राफीक रिकार्ड सहित कूड़ा संग्रहण को अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं। **8.** एकरारनामा के अनुसार निर्धारित कूड़ा संग्रहण स्थल पर संग्रहण स्पष्ट नहीं। **9.** मजदूर के निबंधन एवं न्यूनतम मजदूरी भुगतान स्पष्ट नहीं। **10.** यूनिफार्म आदि मुहैया कराने संबंधी स्थिति स्पष्ट नहीं। **11.** निदान में कार्यरत वाहनों की सूची प्रस्तुत नहीं किया गया। **12.** निदान को दिये गये वार्ड में निगम कर्मी कार्यरत थे या नहीं एवं वार्ड की जनसंख्या स्पष्ट नहीं।			
11	**(i) पथ निर्माण/जीर्णोद्धार अनुदान की योजना की स्थिति** ससमय कार्य प्रारंभ नहीं होना एवं पूर्ण नहीं होना।	कार्य पूर्ण है।		
	(ii) तकनीकी स्वीकृति के पूर्व हीं प्रशासनिक स्वीकृति	सरकार के योजनावार स्वीकृति के उपरान्त राशि निर्गत की गयी थी। तदनुसार योजनाओं का प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् कार्य करायी गयी।		
12	**पथ निर्माण/नाला निर्माण की पुरानी योजना को अधूरी अवस्था में छोड़ना** वित्तीय वर्ष 2009--10 की 15 योजनायें अपूर्ण बताया गया कि ये योजनायें भौतिक रूप से पूर्ण है निगरानी जांच के कारण भुगतान लंबित है। इन्हें पूर्ण कर अगले अंकेक्षण में दिखया जाय।	कार्य पूर्ण है जिसका भुगतान भी किया जा चुका है।		
13	**पथ निर्माण योजना में अनियमिततायें** योजना सं0–291/SFR/10 पर टिप्पणी (i) पेनाल्टी की कटौती नहीं।	वर्त्तमान में समय वृद्धि विहित समय समय सीमा के अन्दर ही स्वीकृत की जा रही है।		
	(ii) लेबर सेस 13091.00 कटौती नहीं।	संबंधित योजना के प्राक्कलन में लेबर सेस की राशि समाविष्ट नहीं रहने के कारण कटौती नहीं की गयी है। वर्त्तमान में इस पर ध्यान दिया जा रहा है।		

1337

14	**<u>पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में अनियमिततायें</u>**			
	(i) संबंधित कागजात प्राप्त किये बिना निविदा को मान्य करना – मद का नाम– पि0क्षे0अनु0 निधि योजना सं0–21/2012–13	पूर्व में जवाब दिया गया था कि भविष्य में इस पर ध्यान दिया जायेगा। वर्तमान में कागजात के मिलान के पश्चात ही कार्य आवंटन किया जाता है।		
	(ii) तकनीकी स्वीकृति के पूर्व ही प्रशासनिक स्वीकृति 2012–13 के कई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के पूर्व ही दी गयी है। जवाब दिया गया कि भविष्य में इस पर ध्यान दिया जायेगा।	सरकार के योजनावार स्वीकृति के उपरान्त राश्ज्ञि निर्गत की गयी थी तदनुरूप योजनाओं के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् कार्य करायी गयी।		
	<u>भाग–III–</u> **<u>सामान्य प्रकृति॰ की कंडिकाओं</u>**			
1	**<u>(i) सेवान्त लाभ की भुगतान/अभिश्रव की नमूना जांच कमियां एवं भिन्नता – Leave encashment</u>** उपादान एवं पेंशन भुगतान की गणना का आधार एक होना चाहिए। लेकिन भिन्नता का कारण स्पष्ट नहीं।	मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़कर उपादान की स्वीकृति की जा रही है। गणना की प्रक्रिया में सुधार कर लिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार स्थापना व्यय (सेवान्त लाभ सहित) पर निगम बोर्ड सशक्त स्थायी समिति से अनुमोदन नहीं लेना है।		
	(ii) समूह 'घ' को छोड़कर सभी संवर्ग के कर्मी एवं पदाधिकारियों को हिन्दी टिप्पण परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वैसे कितने कर्मी परीक्षा पास" और उन्हें वेतन वृद्धि या प्रान्नति मिली है या नहीं के संबंध में जवाब मिला कि यह सूचनायें अगले अंकेक्षण को उपलब्ध करा दिया जायेगा।	सभी कर्मी (समूह 'घ' को छोड़कर) हिन्दी टिप्पण परीक्षा उत्तीर्ण हो गये है।		
2	**<u>शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि</u>**			
	₹94;33,940.00 संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखया जाय।	निधि के अभाव में जमा नहीं की गयी है।		
3	**<u>दैनिक कर्मचारियों पर व्यय</u>**			
	व्ययित राशि 8234763.00 की प्रतिपूर्त्ति के लिए सरकार से प्रयास नहीं/स्पष्ट जवाब दिये जाने तक यह राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन	सरकार से पत्राचार की जा रही है।		
4	**<u>जलापूर्त्ति</u>**			
	– आवश्यकता के अनुरूप जलापूर्त्ति कम	बुडको के द्वारा जलापूर्त्ति योजना की कार्रवाई की जा रही है।		

336

	– क्रय किये गये एवं बेकार पड़े सामग्रियों का भण्डार पंजी प्रस्तुत नहीं।	वर्त्तमान अंकेक्षण को दिखा दिया गया है।		
5	**तेरहवी वित्त आयोग से इंधन का क्रय**			
	व्यय का आदेश स्पष्ट नहीं एवं डिजल के उपयोग का लॉगबुक प्रस्तुत नहीं। जवाब दिया गया कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। तबतक व्ययित राशि अंकेक्षण आपत्ति के अन्दर	लॉग बुक वर्त्तमान अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है।		
6	**भुगतान संचिका, भण्डार पंजी, क्रय आदेश की अप्रस्तुति**			
	1356703.00 कम व्यय बिजली सामग्री फोटो स्टेट मशीन, डिजिटल कैमरा, फर्नीचर, टायर–ट्यूब, बैट्री का क्रय एवं पाईप लाईन व जलापूर्त्ति मोटर पम्प की मरम्मति आदि पर किया गया। इसकी संचिका भण्डारपंजी, इतिहास पंजी आदि अंकेक्षण में नहीं प्रस्तुत किया गया।	वर्त्तमान अंकेक्षण को उपलब्ध करा दिया गया है।		
7	**खराब पड़े हुए उपकरण (वाहन)**			
	वैसे 14 उपकरणों के बारे में क्रय का समय, खराब पड़े रहने का समय एवं इसका कारण स्पष्ट नहीं। जवाब दिया गया कि खराब ट्रैक्टर, टेलर आदि की मरम्मति का कार्य 2013–14 में शुरू कर दिया गया है।	खराब पड़े वाहनों को मरम्मत कराकर उससे कार्य लिया जा रहा है।		
8	**होल्डिंग का पुनरीक्षण**			
	वर्ष 2001–02 में किये गये होल्डिंग कर पुनरीक्षण के पश्चात् 11 वर्ष बीतने के बावजूद पुनरीक्षण नहीं जिससे प्रतिवर्ष राजस्व की हानि। पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाय।	कर पुनरीक्षण का कार्य वर्त्तमान में प्रगति पर है।		
9	**लेखा परीक्षा का परिणाम**	सूचनात्मक		
10	**कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तलाप**	सूचनात्मक		
11	**सामान्य अभ्युक्ति**	सूचनात्मक		

335